डि-रेगुलेशन में यूपी अग्रणी; दूसरे चरण के सुधारों से व्यापर सुगमता बढ़ेगी, अनुपालन घटेगा

- *यूपी ने डि-रेगुलेशन रैंकिंग में देश में पहला स्थान हासिल किया; फेज़-II सुधारों से अनुपालन और सरल होगा*
- *ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए यूपी में सुधारों का अगला चरण शुरू*

लखनऊ, 16 जनवरी, 2026: उत्तर प्रदेश निवेश और व्यापार में देश के सबसे पसंदीदा एवं निवेश अनुकूल राज्यों में अपनी स्थिति लगातार सुदृढ़ कर रहा है। राज्य में व्यापारिक माहौल को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा निवेशक-केंद्रित बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

इसी क्रम में भारत सरकार के एक उच्चस्तरीय पैनल ने शुक्रवार को लखनऊ का दौरा किया। इस पैनल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सचिव सुश्री मीता राजीवलोचन ने किया। उनके साथ कैबिनेट सचिवालय के अपर सचिव श्री राहुल शर्मा भी उपस्थित रहे।

शुक्रवार सुबह प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री एस. पी. गोयल के साथ मुख्य सचिव कार्यालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों (ACS) एवं प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में ईओडीबी सुधारों के फेज़-II पर एक ओरिएंटेशन सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें अनुपालन में कमी और डि-रेगुलेशन के अगले चरण का रोडमैप प्रस्तुत किया गया।

शाम को प्रतिनिधिमंडल ने इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ "कम्प्लायंस रिडक्शन एवं डि-रेगुलेशन 2.0" पर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस बैठक में सुश्री मीता राजीवलोचन, श्री राहुल शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा, उप सचिव, DPIIT तथा सुश्री दीक्षा बिस्वास, यंग प्रोफेशनल, नीति आयोग शामिल रहीं। साथ ही सीआईआई, पीएचडीसीआई, लघु उद्योग भारती, फिक्की, एसोचैम सहित अन्य उद्योग निकायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि कैबिनेट सचिवालय (जनवरी 2026) द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार, डि-रेगुलेशन 1.0 कम्प्लायंस रिडक्शन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राज्य ने 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में प्रभावी सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करना, निरीक्षण संबंधी बाधाओं को कम करना, निवेश सेवाओं का डिजिटलीकरण करना तथा व्यवसायों और एमएसएमई के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना रहा।

इस मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए फेज़-II में भूमि, भवन एवं निर्माण, बिजली/ऊर्जा, श्रम, अग्निशमन, पर्यावरण, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संवाद के दौरान सरकार ने उद्योग संगठनों से संरचित फीडबैक और क्षेत्रवार केस स्टडी भी मांगी, ताकि शेष बाधाओं की पहचान कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को और मजबूत किया जा सके तथा सेवाओं की डिलीवरी को तेज़ और सुगम बनाया जा सके। उद्योग प्रतिनिधियों ने मॉडल बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन बायलॉज़, 2025 के तहत किए गए प्रगतिशील बदलावों की सराहना की।

उत्तर प्रदेश ने अपने सुधार तंत्र को और मजबूत करते हुए डी-क्रिमिनलाइजेशन और डि-रेगुलेशन की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2025, विभागीय सेवाओं का सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकरण तथा निवेश मित्र को उन्नत निवेश मित्र 3.0 में अपग्रेड करना शामिल है, जिसे अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से जोड़ा जा रहा है।

ये सुधार राज्य की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश एक भरोसेमंद, दक्ष और विकासोन्मुख कारोबारी वातावरण तैयार कर रहा है और इसे भारत के सबसे प्रगतिशील व निवेशकों की पहली पसंद वाले निवेश गंतव्यों में स्थापित कर रहा है।